पारि० अ
JD/F/

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 2-3/2014/22/पं.-1 भोपाल, दिनॉक 13/6/14

प्रति,

आयुक्त,
पंचायतराज संचालनालय,
भोपाल म.प्र.।

विषय :- जिला एवं जनपद पंचायत के कर्मचारियों को समूह बीमा योजना लागू करने बाबत्।

---00---

उपरोक्त विषयक जिला एवं जनपद पंचायत के कर्मचारियों को समूह बीमा योजना लागू किये जाने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देश की छायाप्रति संलग्न है।

2. कृपया अनुरोध है कि वित्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जिला एवं जनपद पंचायत के कर्मचारियों के लिये समूह बीमा योजना लागू करने के संबंध में तत्काल कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

12/6/2014

(शोभा निकुंम)
अवर सचिव
म.प्र.शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृष्ठां.क्रमांक एफ 2-3/2014/22/पं.-1 भोपाल, दिनॉक 13/6/14

प्रतिलिपि :-

प्रांताध्यक्ष, प्रांतीय जिला/जनपद पंचायत अधिकारी/कर्मचारी संघ भोपाल की ओर पत्र दिनांक 02.07.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

अवर सचिव
म.प्र.शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पा०। प
1 (5)

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

1, अरेरा हिल्स, तिलहन संघ परिसर, भोपाल
Fax No. 0755-2552899, E-Mail - dirpanchayat@mp.gov.in

क्रमांक/स्था.–4/जि0 ज0/252/पं.रा./2015/17610 - भोपाल, दिनांक 10-12.2015

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत–समस्त
   मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत–समस्त
   मध्यप्रदेश।

विषय :– जिला/जनपद पंचायतों के मूल कर्मचारियों को समूह बीमा योजना लागू करने के संबंध में।

–0–

म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–2–3/2014/22/पं–1 दिनांक 13.06.2014 द्वारा मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के सहमति टीप यू.ओ.क्र. 869/902/14/नियम/चार दिनांक 24.05.2014 के अनुसार **Insurence Providers** के माध्यम से जिला/जनपद पंचायतों के मूल कर्मचारियों को समूह बीमा योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है।

2. समूह बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
3. उक्तानुसार कर्मचारियों को समूह बीमा योजना एल.आई.सी के माध्यम से दिनांक 01 फरवरी 2016 से लागू की गई है।
4. एल.आई.सी. में प्रथम प्रिमीयम किश्त राशि जमा होने के दिनांक 01 फरवरी 2016 से एक वर्ष हेतु प्रभावशील होगी। एक वर्ष पश्चात पुनः नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक होगा।
5. जिला/जनपद पंचायतों के मूल कर्मचारियों को समूह बीमा योजना लागू करने हेतु बीमा की प्रथम किश्त के साथ कर्मचारी की जानकारी निम्नानुसार निर्धारित प्रारुप में प्रेषित किया जाना अनिवार्य है।

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पुरुष/महिला	जन्म दिनांक	सेवा में प्रथम उपस्थिति दिनांक	कर्मचारियों की श्रेणी (1/2)
1	2	3	4	5	6

6. जिला/जनपद पंचायतों के मूल कर्मचारियों को समूह बीमा योजना का लाभ एल.आई.सी के माध्यम से निम्नानुसार देय होगा।

क्रमांक	कर्मचारी का श्रेणी संवर्ग	बीमा राशि	प्रिमीयम किश्त वार्षिक	कर्मचारी की श्रेणी
1	2	3	4	5
1	तृतीय श्रेणी	4 लाख	1375 रुपये	1
2.	चतुर्थ श्रेणी	2 लाख	687 रुपये	2

निरन्तर-2

7. उक्तानुसार कर्मचारियों से प्रिमीयम की राशि एक मुश्त वेतन से कटोत्रा कर अथवा कार्यालय स्तर पर कर्मचारी से एक मुश्त जमा कराई जाकर उक्त राशि जिला पंचायत के नोडल बैंक खाते में जनपद पंचायत द्वारा जमा की जावेगी।
8. जिला पंचायत द्वारा जिले की जनपद पंचायतों से संग्रहित बीमा प्रिमीयम राशि एक मुश्त LIC P&GS DEPTT "जीवन प्रकाश" 60–ए अरेरा हिल्स, भोपाल को एक मुश्त वार्षिक जमा करना होगी।
9. LIC द्वारा प्रत्येक कर्मचारी को पॉलीसी संख्या/क्रमांक जिला पंचायत के माध्यम से उपलब्ध कराया जावेगा।
10. कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु होने की दशा में उनके परिजनों द्वारा प्रेषित आवेदन संलग्न मृत्य प्रमाण–पत्र/बैंक खाता क्रमांक आदि के आधार पर संबंधित पदांकित कार्यालय एवं जिला पंचायत की अनुशंसा उपरांत प्रकरण LIC भोपाल को प्रेषित किया जावेगा।
11. LIC द्वारा उपरोक्तानुसार प्रकरण पर विचार करते हुये एक माह के अंदर उक्तानुसार बीमा राशि संबंधित कर्मचारी के परिजनों के बैंक खातों में जमा की जावेगी।

अतः जिला/जनपद पंचायतों के मूल कर्मचारियों को समूह बीमा योजना का लाभ देने हेतु उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(रघुवीर श्रीवास्तव)
आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय,म.प्र.

पृष्ठां.क्रमांक/स्था.–4/जि0 ज0/252/पं.रा./2015/1761 भोपाल, दिनांक 10-12.2015

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, म0प्र0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल।
4. संभागीय आयुक्त समस्त मध्यप्रदेश।
5. समस्त कलेक्टर जिला मध्यप्रदेश।
6. महा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम का पत्र क्रमांक P&GS/bhopal/GI दिनांक 07.09.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ।
7. प्रांताध्यक्ष, प्रांतीय जिला/जनपद पंचायत अधिकारी कर्मचारी संघ भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय,म.प्र.